

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
क्रमांक : एफ20(101/05) आयो/आकाशि/2011/1538 दिनांक : 14-10-2011
आदेश

निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों की मांग के अनुसार बजट मांग संख्या 24 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा-03, विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा (103), राजकीय कालेज तथा संस्थान (03), राजकीय महाविद्यालय स्त्रियों के लिए, 01 संवेतन मद में अतिरिक्त राशि का बजट आवंटन किया जाता है।

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	मद	आवंटित बजट
1	कन्या, बारा (17303)	01-संवेतन	4.00
2	कन्या, कोटपूतली (31170)	01-संवेतन	3.00
	योग		7.00

(अक्षरे सात लाख रुपये मात्र)

उक्त राशि का आहरण सामान्य लेखा नियमों के अनुसार किया जावे।



संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी)
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ20(101/05) आयो/आकाशि/2011/1538 दिनांक : 14-10-2011
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
- 2- संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
- 3- मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कालेज शिक्षा राज., जयपुर।
- 4- रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी)
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर


क्रमांक:एफ20(101/05) आयो/आकाशि/2011/1533-37 दिनांक : 14 -10-2011

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 925-928 दिनांक 13.4.2011 के तहत निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों को मांग संख्या 51 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा-03, विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 789, अनुसूचित जातियों के लिए, विशिष्ट संघटक योजना (01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए) मद 89 अशंदायी पेंशन योजना में आवंटित बजट को आहरित किया जाता है।


(राशि लाखों में)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	पूर्व में आवंटित राशि	आहरित की गई राशि	मूल आवंटित राशि
1	राज0 महा0 पोकरण (12160)	0.30	0.30	—
2	राज0 महा0 झालावाड (20148)	0.20	0.20	—
3	राज0 महा0 थानागाजी (330)	2.90	1.00	1.90
	योग	3.40	1.50	1.90


संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी)
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

क्रमांक:एफ20(101/05) आयो/आकाशि/2011/1533-37 दिनांक : 14-10-2011
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
- 2- संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
- 3- मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कालेज शिक्षा राज. जयपुर ।
- 4- रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी)
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर